UPUN010043132026

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।

द्वितीय जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–1828/2026

नफीस पुत्र शरीफ निवासी मोहम्मदनगर गोताखोर कस्बा शुक्लागंज थाना कोतवाली गंगाघाट जिला उन्नाव।

––––––अभियुक्त।

प्रति

सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, उन्नाव।

––––––विपक्षी।

दिनांक 20.07.2026

अभियुक्त नफीस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–13/2025, सत्र वाद सं0 555/2025 धारा–80, 85 बी0एन0एस0 एवं धारा 3/4 डी.पी. एक्ट, थाना कोतवाली गंगाघाट जिला उन्नाव में द्वितीय जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्त का प्रथम प्रार्थनापत्र दिनांक 10.12.2025 को बल न देने के कारण निरस्त किया जा चुका है।

संक्षेप में अभियोजन कथन है कि वादिनी मुकदमा गुड़िया पत्नी रमजानी निवासी राजीवनगर खन्ती शुक्लागंज कोतवाली गंगाघाट जनपद उन्नाव ने दिनांक 14.01.2025 को इस आशय की तहरीर थानाध्यक्ष कोतवाली प्रभारी गंगाघाट को दी कि उसने अपनी पुत्री शबनम का विवाह तीन वर्ष पहले नफीस पुत्र शरीफ निवासी गोताखोर थाना कोतवाली गंगाघाट के साथ किया था। उसने अपने सामर्थ्य के अनुसार शादी में दान दहेज दिया था, किन्तु ससुरालीजन दान दहेज से खुश नहीं थे। उसकी पुत्री को शादी के बाद दहेज की बातों को लेकर मारते पीटते थे, जिसकी जानकारी पुत्री द्वारा उसको समय समय पर दी गई। पुत्री ने बताया कि उसके ससुर शरीफ, सास अफसाना व पति नफीस दहेज में मोटरसाइकिल व एक लाख नगदी के बात करते रहते थे। आज दिनांक 14.01.2025 को समय लगभग शाम 5 बजे मोहल्ले वालों द्वारा सूचना मिली कि तुम्हारी पुत्री ससुराल में मृत पड़ी है। उसने जाकर देखा कि उसकी पुत्री को मारपीट कर गला दबा कर उक्त ससुरालीजनों द्वारा मार दिया गया है। अतः सूचना दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया

Digitally signed by ANIL KUMAR VERMA
Date: 2026.07.20 15:39:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कि वह निर्दोष है। उसको झूठा फसाया गया है। प्रार्थी व मृतक शबनम दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों ने अपनी मर्जी से निकाह किया था। वादिनी मुकदमा गुड़िया (मृतका की मॉ) ने न्यायालय में पी0डब्लू0–1 के रूप में बयान दिया है कि उसकी पुत्री के ससुर शरीफ, सास अफसाना व पति नफीस ने कभी दहेज में एक लाख रूपये व मोटरसाइकिल की मांग नहीं की और यह भी कहा कि उसकी पुत्री शबनम के ससुरालीजनों ने कभी भी उसकी पुत्री को मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया है। पी0डब्लू0–1 के बयान का समर्थन पी0डब्लू0–2 (मृतका का नाना) ने भी किया है। प्रार्थी के माता पिता वृद्ध व बीमार है था उसकी एक पुत्री उमेरा उम्र लगभग 3 वर्ष है, जिसकी देखरेख करने वाला उसके अलावा कोई नहीं है। उसका यह द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र है। प्रथम प्रार्थनापत्र दिनांक 10.12.2025 को बल न देने के कारण निरस्त किया जा चुका है। उसका कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय न तो दिया गया है और न ही खारिज हुआ है और न ही विचाराधीन है। उक्त आधारों पर उसके द्वारा जमानत प्रदान करने की याचना की गयी।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

अभियोजन का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त मृतका का पति है और प्रार्थी–अभियुक्त व सहअभियुक्तगण द्वारा मृतका से अतिरिक्त दहेज में एक लाख रूपये व मोटरसाइकिल की मांग को लेकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था और उक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर दि0 14.01.2025 को फॉसी पर लटका कर उसकी दहेज हत्या कर दी। अभियोजन पक्ष द्वारा यह स्वीकार किया गया कि पी0डब्लू0–1 मृतका की मॉ एवं पीडब्लू0–2 मृतका के नाना ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया है, परन्तु मृतका की मृत्यु उसके ससुराल के घर में शादी से लगभग तीन साल के अन्दर असामान्य परिस्थितियों में हुई है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया कि वह निर्दोष है। उसको झूठा फसाया गया है। प्रार्थी व मृतक शबनम दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों ने अपनी मर्जी से निकाह किया था। वादिनी मुकदमा गुड़िया (मृतका की मॉ) एवं पी0डब्लू0–2 (मृतका का नाना) के न्यायालय में बयान हुए है, उन्होंने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। उसके माता पिता वृद्ध व बीमार है तथा उसकी एक पुत्री उमेरा उम्र लगभग 3 वर्ष है, जिसकी देखरेख करने वाला उसके

अलावा कोई नहीं है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। सहअभियुक्तगण मृतका के ससुर शरीफ व सास अफसाना की जमानत माननीय उच्च न्यायालय से हो चुकी है। अतः जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

अतः मामले के उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर कोई टीका टिप्पणी किये बगैर जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार अभियुक्त का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त नफीस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–13/2025, सत्र वाद सं0 555/2025 धारा–80, 85 बी0एन0एस0 एवं धारा 3/4 डी.पी. एक्ट, थाना कोतवाली गंगाघाट जिला उन्नाव के मामले में प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1828/2026 स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0–50,000/–(पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर दाखिल करने पर, उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक–20.07.2026
बृजपाल सिंह

(अनिल कुमार वर्मा–प्रथम)
आई0डी0नं0–यू0पी0–6552
सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।